न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2020, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके ग्राम देवली जरिये पुजारी कैलाश प्रसाद पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र महादेव जाति ब्राह्मण निवासी ढाणी बालेरा ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लालसोट बाबत् मुकदमा उनवानी माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके ग्राम देवली जरिये पुजारी कैलाश प्रसाद बनाम जगदीश प्रसाद दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा)

उपस्थिति : श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक 06.01.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी माफी मन्दिर श्री सीतारामजी वाके ग्राम देवली जरिये पुजारी कैलाश प्रसाद बनाम जगदीश प्रसाद वगैरा का विचाराधीन है। उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माफी मन्दिर सीतारामजी ग्राम देवली की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 66, 660/67, 661/67 कुल किता 3 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा जिसके साबिका खसरा नम्बर 220–227 का बाबत अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद चल रहा है एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में दिनांक 18.07.2019 को उक्त भूमि के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर

अति0 जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रखी है। अप्रार्थी सं. 1 उपजिला कलक्टर लालसोट से मिलीभगत करके दिनांक 18.07.2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति को खत्म करवाकर उक्त मुआवजे को शीघ्र उठाने पर आमादा है। जिसके लिये अप्रार्थी जगदीश पुत्र महादेव ने उपजिला कलक्टर लालसोट के उपर दबाव बना रखा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपजिला कलक्टर लालसोट से प्रार्थी को न्याय की कतई उम्मीद नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रकरण अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माफी मन्दिर सीताराम जी वाके ग्राम देवली की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 66, 660/67, 661/67 कुल किता 3 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा जिसके साबिका खसरा नम्बर 220–227 बाबत अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन है जिसमे दिनांक 18.07.2019 को उक्त भूमि के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। उक्त भूमि को माफी मन्दिर श्री सीतारामजी के नाम खातेदारी में लगाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेन्स प्रस्तुत किया उक्त रेफरेन्स को माननीय राजस्व मण्डल ने कानून के विपरीत तरीके से दिनांक 30.08.2019 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1565/2020 उनवानी कैलाश प्रसाद बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रस्तुत कर रखी है। उक्त रिट याचिका में नोटिस जारी हो चुके है। कोविड–19 की वजह से अदालत में कार्य न होने के कारण उक्त रिट याचिका में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उक्त माफी मन्दिर सीतारामजी की भूमि में से कुछ भूमि दिल्ली बॉम्बे नेशनल हाइवे हेतु एक्वायर की गई है जिसका मुआवजा मिलना है जो की भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट के यहां जमा हो चुका है। अप्रार्थी सं. 1 उक्त मुआवजे को उठाने हेतु उपजिला कलक्टर लालसोट से मिलीभगत करके दिनांक 18.07.2019 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति को खत्म करवाकर उक्त मुआवजे को शीघ्र उठाने पर आमादा है। जिसके लिये अप्रार्थी सं. 1 ने उपजिला कलक्टर लालसोट के उपर दबाव बना रखा है। अप्रार्थी जगदीश को प्रार्थी ने अनेको बार उपजिला कलक्टर लालसोट से चैम्बर में मिलते हुए देखा है। कानूनन जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका विचाराधीन है और उक्त रिट याचिका में किसी प्रकार का कोई अन्तरिम आदेश पारित नहीं होता है तब तक अधीनस्थ न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय पर राजनैतिक दबाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायायल उक्त स्थगन आदेश को खत्म करने पर आमादा है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर मुकदमा दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी माफी मन्दिर सीतारामजी ग्राम देवली बनाम जगदीश प्रसाद को उपजिला कलक्टर लालसोट के न्यायालय से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

अति0 जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में उभयपक्षों की उपस्थिति में सुनवाई की जाकर तारीख पेशी दी जाती रही है। प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने कलुषित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र असत्य काल्पनिक मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नं. 66, 660/67, 661/67 किता 3 कुल रकबा 20 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम देवली तहसील लालसोट बाबत् अधिघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र नहीं चल रहा है बल्कि अपने कलूषित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वाद पत्र दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर रखा है। प्रार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए दिनांक 18.07.2019 को अन्तरिम टी. आई. प्राप्त की गई है जो कानूनी प्रावधाने के प्रतिकूल आज भी जारी है। काननून अन्तरिम टी.आई. का निस्तारण 3 माह के अन्दर करना चाहिए। प्रार्थी पक्ष बारम्बार विचारण न्यायालय की सुनवाई को टालने का प्रयास करता रहा है, इसी कडी में यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार लालसोट द्वारा बिना राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये पद हैसियत का दुरूपयोग करते हुए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में उनवानी रेफरेन्स सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट बनाम जगदीश प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एल.आर./822/2015/दौसा में सटीक एवं विधिसम्मत निर्णय दिनांक 28.03.2019 को पारित किया जा चुका है जो अन्तिम हो चुका है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को भली प्रकार से रही है एवं न ही उसके विरूद्ध कोई आदेश या रोक प्रभावी है। इसके बावजूद भी प्रार्थी पक्ष द्वारा गलत तरीके से विधिक प्रावधानो का दुरूपयोग करते हुए राजस्व मण्डल के निर्णय के विपरीत जाकर विचारण न्यायालय में दुरूस्ती का वाद पेश कर दिया जो कानूनन विचारणीय ही नहीं है। इसी क्रम में उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को मात्र लम्बित करने की गरज से पर उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट से प्राप्त टिप्पणी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्रावली में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे स्पष्ट होता हो कि पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लालसोट की अप्रार्थी सं. 1 से मिलीभगत हो। प्रार्थी द्वारा प्रकरण को लम्बे करने की गरज से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा